

कार्यालय, नगरपालिकनिगम, रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 390 / PMAY / 2021

रतलाम, दिनांक 16.09.2021

:: तृतीय ई-निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक अन्तर्गत डोसीगांव में निर्मित DPR-1 में 16 दुकानों एवं DPR-2 में 16 दुकानों कुल 32 दुकानों के फ्री-होल्ड पर विक्रय हेतु मं.प्र. नगर पालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	दुकान का क्रमांक	सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आरक्षण की स्थिति	नगर निगम द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य	घरोहर (प्रतिमृति निक्षेप) राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
01	159997	E/02	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
02	159999	E/05	14.94	अनारक्षित	269039	6726	2,000/-
03	160000	E/06	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
04	160001	E/07	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
05	160002	E/08	14.94	अनारक्षित	269039	6726	2,000/-
06	160003	F/02	24.24	अनुसूचित जाति पुरुष	436513	10913	2,000/-
07	160004	F/03	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
08	160005	F/04	14.94	अनारक्षित	269039	6726	2,000/-
09	160006	F/05	14.94	अनारक्षित	269039	6726	2,000/-
10	160007	F/06	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
11	160008	F/07	24.24	अनारक्षित	436513	10913	2,000/-
12	160009	F/08	14.94	अनारक्षित	269039	6726	2,000/-
13	160010	S/06	29.50	अनुसूचित जाति पुरुष	544511	13613	2,000/-
14	160011	S/11	29.50	अनारक्षित	544511	13613	2,000/-
15	160012	S/12	40.10	अनारक्षित	740166	18504	2,000/-
16	160013	S/13	40.10	अनारक्षित	740166	18504	2,000/-
17	160014	S/14	29.50	अनारक्षित	544511	13613	2,000/-
18	160015	S/15	25.30	अनारक्षित	466987	11675	2,000/-

1- उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र ऑन लाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है :-

Publish Date :	18-09-2021 16:00	Pri Bid Meeting Date :	
Document Download/Sale Start Date:	18-09-2021 16:30	Bid Submission End Date :	08-11-2021 15:30
Bid Submission Start Date :	18-09-2021 17:00	Bid Opening Date :	09-11-2021 15:30

2- उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी नगर निगम रतलाम की वेबसाईड www.rmcratilam.in पर देखी जा सकती

3- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न कर निर्धारित समय सारिणी अनुसार निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। वेबसाईट की किसी भी प्रक्रिया अथवा संचालन संबंधी जानकारी के लिये वेबसाईट का टोल फ्री नंबर 012-4001-002 पर संपर्क किया जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। पत्रों से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। भवनों के संबंध में अन्य जानकारी नगर निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कक्ष क्रमांक 14 से प्राप्त की जा सकती है विक्रय संबंधी समस्त भारत ऑनलाईन डाऊनलोड की सकती

4- समस्त निविदाकार द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि भवन के पंजीयन (रजिस्ट्री) के तीन दिन पश्चात वापस उसी बैंक खाते में अंतरित हो जावेगी, जिससे की अर्नेस्टमनी की राशि जमा करवाई गई थी।

5

विशेष नोट:- दुकान क्रमांक E/08 हेतु रूपये 3,11,999/- से कम के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगें।

51

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम
रतलाम, दिनांक 09.2021

पृ.क्रमांक / /PMAY/2021

- 1- आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- कलेक्टर एवं प्रशासक, नगर पालिक निगम, रतलाम की ओर सूचनार्थ।
- 3- प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- श्री नरेन्द्र वर्मा (मो.नं. 9893318859) मैनेजर एसोसीएशन, भोपाल की ओर संचालनालय की वेब साईड पर प्रदर्शित करवाने हेतु सूचनार्थ।
- 5- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 6- कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यां. खण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 7- कार्यालय मुख्य नोटिस बोर्ड नगर पालिक निगम रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 8- लेखाधिकारी नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।

51

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP घटक के अन्तर्गत DPR-1 डोसीगाँव में निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु ई-निविदा आमंत्रण की विस्तृत शर्तें

1. डोसीगाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 16 दुकानों का आवंटन म.प्र. नगर पालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने हेतु ऑफर ई-निविदा द्वारा आमंत्रित हैं। इसके अन्तर्गत 3 लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लिफाफा "A" में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप), लिफाफा "B" में आरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति एवं ई-निविदा में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा "C" में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगी।
2. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F-10/47/15/18-2 भोपाल दिनांक 03/09/2020 के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण दिनांक 29/08/2020 की कंडिका 9 एवं 15 अनुसार सम्पत्ति का व्ययन, तथा पंजीयन विलेख फ्री-होल्ड के आधार पर किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी लिफाफे / दस्तावेज सिर्फ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे।
4. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर एवं अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार जमा होना पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा "C" ऑनलाईन खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निविदा से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं शर्तें ई-निविदा वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।
5. ई-निविदा में प्रत्येक सम्पत्ति के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम के नाम पर देय अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) की राशि पृथक-पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित मूल्य के 2.50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) जमा न किये जाने की स्थिति में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
6. उच्चतम निविदा दर दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जायेगी और शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को सम्मिलित किया जा सकता है, निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा की जाएगी। यदि निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयुक्त "विक्रय को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
7. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात् उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

श. चन्द्र व्यास
न. यंत्री, पी. एम. ए. वाय

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001


01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

8. निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।
9. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति उपरांत निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) राशि राजसात की जावेगी जिसके विरुद्ध कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
10. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को नियमानुसार अंतरित की जा सकेगी, नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति का अधिपत्य निगम द्वारा पुनः वापस ले लिया जावेगा।
11. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकेगा, निविदा हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नियम 3 में उल्लेखित रीति के अनुसार किया जाएगा।
12. संपत्ति के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया है।
13. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार हुई क्षति को क्रेता को ही वहन करना होगा। इसके लिए आयुक्त नगर निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत क्रेता द्वारा किया जाएगा।
15. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा क्रेता इसके लिए बंधनकारी होगा।
16. क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित मादक पदार्थों या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले व उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो। इस शर्त के उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. क्रेता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति, सुखाधिकार तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
18. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम लोकहित में संपत्ति में सुधार हेतु क्रेता को निर्देश दे सकेगा।
19. क्रेता को विद्युत संयोजन एवं नल कनेक्शन स्वयं के व्यय पर नियमानुसार प्राप्त करना होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

20. क्रेता द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
21. केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा।
22. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम एवं मध्यप्रदेश अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सभी शर्तें व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकार को दुकान का स्वयं निरीक्षण कर फ्लैट्स की डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, विद्युत, निर्माण सामग्री, कार्य कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये।
24. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दुकानें आवंटित की जावेगी, यदि भविष्य में परीक्षण उपरांत प्रस्तुत दस्तावेज असत्य / फर्जी पाये जाते हैं तो दुकानों का आवंटन निरस्त कर निविदाकार के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
25. अधिपत्य के उपरांत भवन का रख-रखाव, पानी, विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वयं के व्यय से लेना होंगे तथा कॉमन सर्विस चार्जस, जलकर आदि का भुगतान करना होगा।
26. दुकान की पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार भवन का पंजीयन (रजिस्ट्री) क्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाई जावेगी।
27. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो भी नियम / आदेश जारी किये गये हैं या भविष्य में जारी किये जावेगे उनका पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
28. आवंटिती को केन्द्र शासन, राज्य शासन, नगर पालिक निगम रतलाम के कर आदि जो भी देय होंगे, स्वयं भुगतान करना होंगे।
29. नियमानुसार समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का गठन करना अनिवार्य है एवं समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का सदस्य बनना अनिवार्य रहेगा।
30. निर्मित आवासीय परिसर में 50% आवास गृहों में आधिपत्य प्राप्त कर निवासरत होने तक संचालन/संधारण नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा किया जावेगा। इसके उपरांत अर्थात् 50% से अधिक आवासगृहों में हितग्राहियों के आधिपत्य एवं निवासरत होने के अगले माह से ही संचालन/संधारण एवं उस पर होने वाले समस्त व्यय आदि का वहन रहवासी कल्याण समिति द्वारा किया जावेगा।
31. इस हेतु बहुमंजिला भवनों के संबंध में जो नियम, उपनियम आज प्रचलित है या भविष्य में प्रचलित होंगे उन सभी का पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
32. किसी भी प्रकार के बाद की स्थिति में वाद क्षेत्र नगर पालिक निगम रतलाम की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
33. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


कार्यपालन यंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम रतलाम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP घटक के अन्तर्गत DPR-2
डोसीगाँव में निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु
ई-निविदा आमंत्रण की विस्तृत शर्तें

1. डोसीगाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 16 दुकानों का आवंटन म.प्र. नगर पालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने हेतु ऑफर ई-निविदा द्वारा आमंत्रित हैं। इसके अन्तर्गत 3 लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लिफाफा "A" में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप), लिफाफा "B" में आरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति एवं ई-निविदा में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा "C" में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगी।
2. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F-10/47/15/18-2 भोपाल दिनांक 03/09/2020 के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण दिनांक 29/08/2020 की कंडिका 9 एवं 15 अनुसार सम्पत्ति का व्ययन, तथा पंजीयन विलेख फ्री-होल्ड के आधार पर किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी लिफाफे / दस्तावेज सिर्फ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे।
4. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर एवं अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार जमा होना पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा "C" ऑनलाईन खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निविदा से संबंधित अन्य सम्स्त नियम एवं शर्तें ई-निविदा वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
5. ई-निविदा में प्रत्येक संपत्ति के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम के नाम पर देय अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) की राशि पृथक-पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित मूल्य के 2.50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) जमा न किये जाने की स्थिति में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
6. उच्चतम निविदा दर दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जायेगी और शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को सम्मिलित किया जा सकता है, निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा की जाएगी। यदि निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयुक्त "विक्रय को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
7. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात् उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

चक्र व्यास
पी.एम.ए.वाय

कार्यालय नगर-पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in


8. निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।
9. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति उपरांत निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) राशि राजसात की जावेगी जिसके विरुद्ध कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
10. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को नियमानुसार अंतरित की जा सकेगी, नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति का अधिपत्य निगम द्वारा पुनः वापस ले लिया जावेगा।
11. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकेगा, निविदा हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नियम 3 में उल्लेखित रीति के अनुसार किया जाएगा।
12. संपत्ति के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया है।
13. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार हुई क्षति को क्रेता को ही वहन करना होगा। इसके लिए आयुक्त नगर निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत क्रेता द्वारा किया जाएगा।
15. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा क्रेता इसके लिए बंधनकारी होगा।
16. क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित मादक पदार्थों या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले व उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो। इस शर्त के उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. क्रेता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति, सुखाधिकार तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
18. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम लोकहित में संपत्ति में सुधार हेतु क्रेता को निर्देश दे सकेगा।
9. क्रेता को विद्युत संयोजन एवं नल कनेक्शन स्वयं के व्यय पर नियमानुसार प्राप्त करना होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556

Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

20. क्रेता द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
21. केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा।
22. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम एवं मध्यप्रदेश अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सभी शर्तें व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकार को दुकान का स्वयं निरीक्षण कर फ्लैटस की डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, विद्युत, निर्माण सामग्री, कार्य कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये।
24. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दुकानें आवंटित की जावेगी, यदि भविष्य में परीक्षण उपरांत प्रस्तुत दस्तावेज असत्य / फर्जी पाये जाते हैं तो दुकानों का आवंटन निरस्त कर निविदाकार के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
25. अधिपत्य के उपरांत भवन का रख-रखाव, पानी, विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वयं के व्यय से लेना होंगे तथा कॉमन सर्विस चार्जस, जलकर आदि का भुगतान करना होगा।
26. दुकान की पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार भवन का पंजीयन (रजिस्ट्री) क्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाई जावेगी।
27. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो भी नियम / आदेश जारी किये गये हैं या भविष्य में जारी किये जावेगे उनका पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
28. आवंटिती को केन्द्र शासन, राज्य शासन, नगर पालिक निगम रतलाम के कर आदि जो भी देय होंगे, स्वयं भुगतान करना होंगे।
29. नियमानुसार समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का गठन करना अनिवार्य है एवं समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का सदस्य बनना अनिवार्य रहेगा।
30. निर्मित आवासीय परिसर में 50% आवास गृहों में आधिपत्य प्राप्त कर निवासरत होने तक संचालन/संधारण नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा किया जावेगा। इसके उपरांत अर्थात् 50% से अधिक आवासगृहों में हितग्राहियों के आधिपत्य एवं निवासरत होने के अगले माह से ही संचालन/संधारण एवं उस पर होने वाले समस्त व्यय आदि का वहन रहवासी कल्याण समिति द्वारा किया जावेगा।
31. इस हेतु बहुमंजिला भवनों के संबंध में जो नियम, उपनियम आज प्रचलित हैं या भविष्य में प्रचलित होंगे उन सभी का पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
32. किसी भी प्रकार के बाद की स्थिति में वाद क्षेत्र नगर पालिक निगम रतलाम की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
33. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


सुरेश चन्द्र व्यास
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम रतलाम